(b) the total iron ore reserves actually exploited or in existence; and

(c) the value of machinery employed indicating its Original values as well as written down value ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) Details of iron ore production in Chiria Iron Ore Mines during the last three years are as under :

Year	Production in MT	Quality Fe%
1991	2,49,730.87	62.00%
1992	2,58,840.80	62.02%
1993	2,57,236.82	62.04%

(b) The total iron ore reserves as on date are estimated to be 2,000 million tonnes.

(c) The value of machinery employed indicating its Original values as well as written down value, as informed by Steel Authority of India Limited, is given below :

(i) Original value audited as on 31-3-93 Rs. 101.30 lakh

(ii) Written down value audited as on 31-3-93 Rs. 45.42 lakh

निजी क्षेत्र में नए इस्पात उद्योगों की स्थापना

1701. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नए इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत जुलाई, 1991 से जनवरी, 1994 तक सरकार को कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तावों के अनुसार देश में इस्पात उद्योग को कितनी अतिरिक्त क्षमता पैदा किए जाने और कितनी अतिरिक्त पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, कितने नामंजूर किए गए हैं, कितने विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे स्थान संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गयी है । अतः नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और अब उद्योगियों को केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है ।

जुलाई, 1991 से इस्पात और इस्पात-आधारित उद्योगों के लिए 1000 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं । इन औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों से सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता तथा उन पर अतिरिक्त निवेश इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें से कितनी परियोजनाएं वास्तविक रूप से कार्यान्वित की जाती हैं ।

ऐंटी डम्पिंग कानून बनाए जाने के लिए भारती इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अनुरोध ।

1702. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने काफी कम मूल्य पर वस्तुओं के आयात में भारी वृद्धि को देखते हुए देश के लघु उद्योगों को बचाने हेतु ऐंटी डम्पिंग कानून बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड वस्तु सूचियों में भारी वृद्धि होने के कारण परेशान है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की वस्तु सूचियों में कमी करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 को 1982 में संशोधित किया गया जिससे सरकार को अधिकार मिल गया कि यदि भारी मात्रा में आयात किये जाने से स्वदेशी उद्योग को कोई क्षति पहुंचती हो तो सरकार भारी मात्रा में आयात के विरूद्ध ऐन्टी डम्पिंग शुल्क लगा करके उपचारात्मक उपाय कर सकती है।

सीमा शुल्क नियम के लिए यह आवश्यक होगा कि विनिर्दिष्ट प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट हो कि डम्पिंग, स्वदेशी उद्योग को आघात पहुंचाने और जांच पड़ताल शुरू करने के निर्णय लिये जाने के पूर्व भारी मात्रा में आयात और तथाकथित आयात के बीच आकस्मिक सहलग्नता के प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण हों।

सरकार ने खतरनाक डम्पिंग को सुधारने तथा उसकी जांच करने के लिए उस स्थान पर आवश्यक तंत्र की व्यवस्था कर दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां। मंदी के कारण माल-सूची बढ़ी । 1-4-93 की स्थिति के अनुसार "सेल" (इस्को को छोड़कर) के विक्रेय मृदु इस्पात का स्टाक लगभग 7.3 लाख टन था जो 1-3-1994 की स्थिति के अनुसार बढ़कर लगभग 8.9 लाख टन हो गया । तथापि, फरवरी, 1994 के दौरान "सेल" अपने स्टाक में कुछ कमी करने में कामयाब रहा ।

(घ) माल-सूची घटाने और अपनी बिक्री में वृद्धि करने के लिए "सेल" द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :-

—बाजार मांग के अनुरूप उत्पाद मिश्र का पुनः अभिविन्यासकरण।

—दिए गए आर्डरों के अनुसार अपने प्रयोक्ताओं को "सेल" के संयंत्रों से सामग्री का युक्तिकरण और प्रेषण ।

—सामग्रियों की शीघ्र बिक्री की सुविधा के लिए प्रत्येक क्षेत्र के बाजार में संयंत्रों से सामग्री भेजना ।

—इस्पात की बिक्री के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने के लिए निर्यात प्रयासों को तेज करना ।

Crisis in Mini Steel Industry

1703. DR. MURLI MANOHAR JOSHI :
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :
SHRI RAM RATAN RAM :

Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mini steel industry is facing a crisis;

(b) if so, what are the reasons thereof;

(c) whether it is a fact that nearly 50 percent of the units are closed and more closures are on the cards;